therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI K.C. LENKA): (a) There is no proposal at present.

(b) Does not arise.

(c) Operational constraints and lack of resources.

Complaints against Railway Staff/ Administration

400. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that complaints against railway staff/administration are on the increase;

(b) if so, what are the reasons therefor;

(c) the number of complaints decided against railway establishments/railway administration during the last three years; and

(d) what action the railways administration is contemplating against the erring employees causing commuters hardship, resulting in complaints to consumers forum?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI K.C. LENKA): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Consumer Disputes Redressal Forums decided 122 cases during 1991-92, 122 during 1992-93 and 140 cases during 1993-94 (upto 31.12.93) against the railways.

(d) Besides taking disciplinary action against them, counselling of such staff is also done.

उत्तर प्रदेश में उपरि पुलों का निर्माण

401. **श्री आनन्द प्रकाश गौतम:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे सुरक्षा निधि से उत्तर प्रदेश में कितने रेलवे उपरिपुलों का निर्माण किया जा चुका है और इस निधि की मदद से कितने उपरिपुलों का निर्माण अभी चल रहा है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने इन उपरिपुलों पर खर्च की गयी कुल धनराशि के रेलवे के भाग के रूप में 28.52 करोड़ रुपये की धनराशि के लिए प्रतिपूर्ति का दावा भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया है;

(ग) इस मद में अंशदान के रूप में भारत सरकार (रेल मंत्रालय) द्वारा कितनी धनराशि दी गयी है और कितनी धनराशि अभी दी जानी शेष है; और

(घ) अंशदान की बकाया धनराशि का कब तक भुगतान कर दिया जायेगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका): (क) से (घ): रेलें उन व्यस्त समपारों को लागत में हिस्सेदारी के आधार पर सड़क ऊपरी/निचले पुलों से बदलने पर विचार करती है, जहां यातायात गाड़ी वाहन इकाई (यह एक ऐसा आंकड़ा है जो 24 घंटे में गुजरने वाली गाड़ियों की संख्या को वहां से गुजरने वाली सड़क यातायात की संख्या से गुणा करके प्राप्त किया जाता है) के अनुसार एक लाख से अधिक होता है। ऊपरी सड़क पुलों तथा निचले सड़क पुलों के निर्माण पर राज्य सरकारों द्वारा किया गया खर्च उनके क्रेडिट में धन की उपलब्धता की सीमा तक रेलवे संरक्षा निर्माण कार्य निधि से उन्हें प्रतिपूरित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त 28.52 करोड़ रु० मूल्य के दावों में से, 12.68 करोड़ रु० मूल्य के दावों का सत्यापन कर दिया गया है। इसमें से, 7.98 करोड़ रु० उत्तर प्रदेश सरकार को पहले ही प्रतिपूरित कर दिए गये हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा बजट अनुदान के माध्यम से अतिरिक्त धन रिलीज करने पर आगे की प्रतिपूर्ति निर्भर करेगी।